:: कार्यालय कलेक्टर जिला–खण्डवा ::

क्रमांक / 15883 / वाचक कले0 / 2018 खण्डवा, दिनांक 28 / 09 / 2017.

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,
खण्डवा.

विषयः– आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को न्यायिक अधिकारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 5.67 हेक्टैयर में से 0.350 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण बाबत।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा ने पत्र कमांक 1105 / चार–1–1 / 13, दिनांक 03.05.2018 अनु–विभागीय अधिकारी, राजस्व पुनासा को प्रस्तुत कर, ग्राम पुनासा तहसील पुनासा स्थित सड़क के विपरीत दिशा में जो कि छोटे झाड का जंगल मद में दर्ज है, न्यायिक अधिकारी के आवासगृह के निर्माण हेतु तहसील पुनासा में 0.5 एकड़ भूमि की मांग की है।

2– तहसीलदार, पुनासा व्दारा की गई जांच के आधार पर अनु–विभागीय अधिकारी, पुनासा व्दारा ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 5.67 हेक्टैयर मद "घांस एवं छोटे झाड़ का जंगल" में से 0.350 हेक्टैयर भूमि आवेदक / विभाग को दी जाना प्रस्तावित की है।

3– अतएव ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 5.67 हेक्टैयर मद "घांस एवं छोटे झाड़ का जंगल" में से 0.350 हेक्टैयर भूमि आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को न्यायिक अधिकारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु दिये जाने में कोई आपत्ति नही है। तद्नुसार कृपया ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 5.67 हेक्टैयर मद "घांस एवं छोटे झाड़ का जंगल" में से 0.350 हेक्टैयर भूमि न्यायिक अधिकारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत "छोटे झाड़ का जंगल" के मद से छूट प्रदान करते हुए आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर,
जिला–खण्डवा.

पृ0 कमांक / 15884 / वाचक कले0 / 2018 खण्डवा, दिनांक 28 / 09 / 2018.

प्रतिलिपिः–

1 / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा
2 / तहसीलदार, पुनासा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3 / जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया प्रश्नाधीन आवेदित भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् निर्धारित प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही हेतु विधिवत् आगामी कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

कलेक्टर,
जिला–खण्डवा.